

आदेश पत्रक

(सर्व आभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

दिनांक से तक

पृ. पन् 200

प्रकार का निम्न खारिज वार सं. 340/16-17

श्री क्र. सं.	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में तिथि, तारीख, स्थान
	2	3

22/7/16

① श्री प्रकाश राम (श्री राम प्रसाद राम) पिता
 श्री गिरजा राम सा. चतुर
 अंचल देवरी जिला गिरिडीह द्वारा निम्नांकित ब्योरे की
 तबियत के साक्षर खारिज हेतु आवेदन पत्र दिया गया है।
 आवेदित ब्योरे श्री राम देवप्रसाद सिंह
 पिता श्री स्वर्णगंगाधर सिंह सा. चतुर
 अंचल देवरी के बजरिये केवाला नं. 4159
 दिनांक 11/11/76 द्वारा क्रय किया गया है।
 ग्राम भाग नं. खाला नं. प्लॉट नं. रकबा
 चतुर 527 59 1877 1337

क्र. सं. हेतु 4159
 [Signature]

पंजी 27 मे रज कर आम हस्ताक्षर निर्गत करे।
 हस्तक राजारव कर्मचारी आवेदन पत्र का स्थानीय जांच करे
 जांच प्रतिवेदन अं. नि. के माध्यम से उपस्थापित करे।
 आभिलेख दिनांक 16/8/16 को उपस्थापित करे।

लेखापाल

[Signature]
 अंचल अधिकारी
 देवरी

[Signature]
 अंचल अधिकारी
 देवरी

16/8/16

अभिलेख स्थापित किया गया। आम दस्तावेज निर्दिष्ट किया गया। सम्बन्धित प्रतिवेदन प्राप्त है। किसी ने कोई अपवाद नहीं दिया है। ह. कर्म. / अ. नि. का बीच प्रतिवेदन देखा। इसने प्रमाणित किया है कि प्ररगत जमीन रयती में खास / कसबत खातों की है। जिसकी नपावन्दी पंजी 11 के पृष्ठ सं. 17.3 पर दर्ज है एवं विक्रेता के नाम परदादा डीलो सिंह के से कायम है। जमीन भूदान भूहदवन्दी वन सीमा एवं सीमा से बाहर है। जमीन पर क्रेता का शांतिपूर्ण रखल है। आवेदित भूमि के नामांतरण हेतु अनुशांसा किया गया है।

अतः ह. कर्म. एवं अ. नि. के बीच प्रतिवेदन के आधार पर निर्मांकित विवरण की भूमि का नामांतरण क्रेता

श्री/श्रीमति ① प्रकाश राम ② राम प्रसाद राम
पिता/पति श्री निरंजन राम मा. पुत्र
के नाम से किया गया है।
क्रम/धारा नं. खाता नं. प्लॉट नं. रकबा फसल

पत्तों
537 59 1877 13310 1.00

संबन्धित सहायक तदनुसार शूट पत्र निर्गत करें।

सहायक

अंशल अधिकारी
देवरी

अंशल अधिकारी
देवरी

शूट पत्र निर्गत किया गया। हस्ता कार्यकारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

अंशल अधिकारी
देवरी

शूट पत्र प्राप्त किया
[Signature]